संख्या–35 खे0वि0/2003–2004

प्रेषक

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक
खेल निदेशालय
देहरादून।

खेल अनुभाग देहरादून दिनांक 27 मार्च 2004

विषयः– जनपद चमोली के मुख्यालय में निर्मित स्टेडियम के विस्तारीकरण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक खेल के पत्र संख्या–3990/गो0 स्टे0नि0प0/2003–2004 देहरादून दिनांक 24 मार्च 2004 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली मुख्यालय में निर्मित स्टेडियम के विस्तारीकरण हेतु वित्त विभाग टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 66.29 लाख (रूपये छ्यासठ लाख उन्नतीस हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस वित्तीय वर्ष 2003–04 में रू0 33.00 लाख (रू0 तेतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधार पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राविधकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्वेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

8– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

अतः प्रशासनिक विभाग से अनुरोध है कि आगणन की एक प्रति सही कर निर्माण इकाई को शासनादेश के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय । यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक है । ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है । व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेश में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय ।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवायें खेल–कूद स्टेडियम–108–खेलकूद तथा युवा सेवायें–05–स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)–24–वृहत निर्माण कार्य नामक मद के नामें में डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र सं0– 2363/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 26 मार्च 2004 में प्राप्त इनकी सहमति से जारी किये जा रही है।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– खे0वि0 /2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग सहारनपूर रोड़ देहरादून ।
2– वरिष्ठकोषाधिकारी, देहरादून ।
3– निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन देहरादून ।
4– श्री एल0एम0पन्त0 अपर सचिव वित्त विभाग ।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र देहरादून ।
6– परियोजना प्रबन्ध राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर गढ़वाल।
7– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन ।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव